03/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकैन उप० / अभिभाषक प्रार्थी उप० / अभिभाषक अप्रार्थी सं. 38 व 39 उप० / अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 7, 8, 9, 29, 35 ता 37 उप० / समन से तामील पक्षकार अभिभाषक 38 / 39 द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस प्रा० पत्र 212 आरसीए सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश आयंदा दिनांक 06/11/25 को पेश हो।

06/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकैन उप० / बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। प्रा० पत्र 212 आरसीए के संदर्भ में तीन बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विचार किया गया। उक्त तीनों विचारणीय बिंदु प्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के पक्ष में सिद्ध न होकर अप्रार्थी संख्या 38 व 39 के पक्ष में सिद्ध होते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 212 भाटीप खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।	